

# नारियल विकास बोर्ड COCONUT DEVELOPMENT BOARD

भारत सरकार, कोची - 682 016 GOVT. OF INDIA, KOCHI - 682 016

नारियल के नए रोपण के लिए सहायिकी (प्रथम वर्ष) का आवेदन APPLICATION FOR COCONUT NEW PLANTING SUBSIDY (FIRST YEAR)

आवेदक क	. am .						
(साफ अक्ष	ा नामः रों में नाम के	बाद आद्य	क्षर)		Ш		Rieming .
Name of the	e applicant : ters initials after n	ame)				[ab]	
आवेदक क (साफ, अक्ष			to the first				*
Address of (In block let	the applicant : ters)						
	ता./अ. ज. जा. longs to SC/ST:	के हैं:	अ जा SC	अ ज ज ST		मान्य eneral	
	मिलने के लिए and planted for ava सर्वेक्षण संख्या		ly:**	में का विवर गाँव		ल्लुका	राज्य
क्रम. सं. Si. No.	Survey No.	(हेक्टर)	rea (एकड) in Acre)	Village		Faluk	State

- \*\* भूमि का स्वामित्व साबित करने हेतु आवश्यक प्रलेख, जैसे भूमि कर रसीद (आवेदन करने के वर्ष की) की प्रतिलिपि (राजपत्रित अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित) या कब्जा प्रमाणपत्र आदि आवेदन के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।
- \*\* Necessary documents to prove the ownership of the land, such as a copy (attested by a gazetted Officer) of the land tax receipt (applying year), or possession certificate etc. should be submitted alongwith the application.

6.	क्या आवेदक भूमि का Whether the applicant is t		-	nd : जी	हाँ जी न <b>es</b> No	हीं			r gi
7.	क्या आवेदक को उपर्यु Whether the applicant has						: জী Y	हाँ es	जी नहीं No
8.	भूमिका प्रकारः Type of soil:	रेतीली Sandy		दुम्मटी Loamy	कछारी Alluvial		बरला terite		णमय layey
9.	सिंचाई पद्धति : Mode of irrigation:	थाला Basin		स्प्रेक्लर prinkler	द्रप्स Drip	न C	हरी anal		ा सिंचाई Irrigation
10.	रोपण सामग्री Planting material								
	किस्म (कृषिजोपजाति) Variety (cultivars)	संख्या Nos.	सम Ag	ा लगाते ाय आयु pe at the of planting	बीजफलॉ/ का Source of seed	स्रोत seednuts	, .	लाग Co s.	
i) ii) iii) iv) v) vi)	टी x डी TxD डी x टी DxT वेस्ट कोस्ट टॉल West Coast Tall ईस्ट कोस्ट टॉल East Coast Tall लक्षद्वीप ऑडिनरी Laccadive Ordinary अन्य किस्म Any other variety								
11. i) iii) v)	Planting details and main रोपण की तारीख : Date of Planting : लगाए गए बीज पौधों No. of seedlings planted : रोपण की गहराई : Depth of planting :	enance की संख्	या :	•	Plan iv) गड्	nting dist	ance: आकार.		
vi)	हाली गई खाद और उ Menures and Fertilizers a			जैव Org	anic	रास	ायनिक	Che	emical
			प्रकार Type	प्रति ब गङ्ख	T City. रीजपौधा डा/पेड ing/pit/palm	प्रकार Type	प्रति बी	पेड	Oty. श/गहढा/ /pit/palm
			÷						

12.	पौधा संरक्षण के लिए अपनाए गए उपाय Plant protection measures adopted against	(i) रोगों से (i) disease	(1)	(ii) नाशी (ii) pests		से
			(2)		(2)	
			(3)		(3)	
			(4)		(4)	
			(5)		(5)	

## 13. प्रथम वर्ष में उठाया गया खर्च Expenditure incurred during first year

क्रम सं. Sl. No.	मद Item	राशि Amount				
01. 140.	3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	₹. Rs.	पै. Ps			
(i)	बीजपौधों की लागत Cost of seedlings	, · ·				
(ii)	कृषि भूमि और रोपण की तैयारी Preparation of land and planting					
(iii)	बाडा लगाना, सहारा देना, छाया प्रदान करना Fencing, Propping, Shading		17:15			
(iv)	र्सिचाई का खर्च Irrigation expenses					
(v)	खाद देने का खर्च Manuring expenses	e españo Para españo				
(vi)	आन्तरिक कृषि/कूडा नियंत्रण Inter-cultivation/weed control)		1			
(vii)	पौधा संरक्षण Plant protection					
(viii)	कृषि उपकरणों की खरीद Purchase of agricultural implements					

# घोषणा प्रपत्र : आवेदक द्वारा ही भरा जाए Declaration form to be filled in by Applicant only :

<b></b>	(पुत्र/पुत्री/पत्नी)
1	(S/o/W/o/D/o)
पता	एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ
Address	hereby declare that the
कि ऊपर दी गई सूचना सही है और में	सहायता प्राप्त करने के लिए नारियल विकास बोर्ड द्वारा
information furnished above is true and co	rrect and I shall abide by the terms and conditions prescribed
समय समय पर निर्धारित शर्तों का पालन	। करूँगा/करूँगी। मैं/हम ने वर्ष 199 के दौरान
by the Coconut Development Board for av	vailing of the subsidy from time to time, I/We have incurred
संख्या के बी	जपौधों के रोपण और अनुरक्षण के लिए रु
Rs(Rupees	only as actual expenditure for the planting and
(रुपए मात्र) खर्च	किए हैं।
maintenance of number of seedlings	during the year
स्थान	
Place : तारीख	आवेदक का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान
Date :	Signature/Thump impression of applicant
	प्रमाणपत्र CERTIFICATE
(and the miles de de la late	
	न अधिकारी/बोर्ड के तकनीकी अधिकारी का प्रमाणपत्र) al Officer of the State/UT/Technical Officer of the Board
	ने नारियल रोपण के लिए पस्तावित स्थल
I, Shri/Smtnut	have inspected the site proposed for coco-
का निरीक्षण किया है और मुझे पूरा वि	श्वास है कि यह प्रस्तावित भूमि नारियल कृषि के लिए
planting and to the best of my knowlege and b	elief the land proposed is suitable for coconut cultivation and the
उपयुक्त है और आवेदक ने अपने आवेदन प	त्र में दिए विवरण के अनुसार रोपण और अनुरक्षण किया है।
applicant has done the planting and other main	tenance as per his statement in the application form. I certify that
में प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदक	ने वर्ष 199 के दौरान संख्या
the applicant has incurred an amount of Rs	(Rupees only)
के बीजपौधों के रोपण और अनुरक्षण के	लिए रु(
for planting and maintenace of num	ber of seedlings during 199
रुपए मात्र) का खर्च उठाया है।	
स्थान	हस्ताक्षर
Place:	Signature
तारीख Date :	कार्यालय मोहर
e and 1	Office Seal

अधिकारी का नाम और पदनाम Name and designation of the Officer

#### कार्यालय उपयोग के लिए For Office use only

सत्यापित करनेवाले अधिकारी की अभ्युक्तियां : Verifying Officer Remarks :

> नाम और पदनाम Name and Designation

#### अध्यक्ष का आदेश Order of the Chairman

रु	(	रुपए मात्र) मंजूर किए गए।
		)
		अध्यक्ष
		Chairman
		नारियल विकास बोर्ड
		Coconut Development Board

### आवेदन पत्र भरने हेतु अनुदेश Instructions for filling application

आवेदक का नाम : एक बोक्स में एक अक्षर लिखें, आद्यक्षर और नाम के बीच एक बोक्स खाली रखें। Name of applicant : write one letter in one box, keep one box blank after first name and in between initials.

उदाहरण के लिए : यदि नाम के. मुरलीधरन नायर है तो ऐसे लिखें For eg: if name is K. Muralidharan Nair, write it as

मु	र	ली	ध	र्	न		ना	य	र		के					
М	U	R	Α	L	-	D	Η	Α	R	Α	N	N	Α	1	R	к

मद सं. 3 के लिए उपयुक्त बोक्स में चिहुन लगाएँ For Item No. 3 put a mark in the appropriate box.

मद सं. 4 में पौधा लगाई गई भूमि हेक्टर और एकड़ दोनों में दें। Under Item No. 4 area planted should be mentioned both in hectares and acres.

मद 6, 7, 8 और 9 के लिए उपयुक्त बोक्स में चिहुन लगाएँ For Items 6, 7, 8 and 9 put a mark in the appropriate box.

मद सं. 11 (i) में तारीख पहले बोक्स में, महीना दूसरे में और वर्ष तीसरे में दें। Under Item No. 11 (i) Write date in the first box, month in the second box and year in the third box.

उदाहरण के लिए : 12 मई 1994 ऐसे लिखें For eg : 12th of May 1994 should be written as

12	05	1994
1		

प्रमाणपत्र में संबंधित अधिकारी के कार्यालय मोहर के साथ हस्ताक्षर के बिना मिलनेवाला आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जाएगा। आवेदक को घोषणा प्रपन्न में हस्ताक्षर करना चाहिए। Application without signature of the concerned officer alongwith office seal in the certificate will be sumarily rejected. The applicant should sign in the declaration form.

## नारियल विकास बोर्ड

#### COCONUT DEVELOPMENT BOARD

(भारत सरकार) कोची - 682 016 (GOVT. OF INDIA) KOCHI - 682 016

नारियल के नये रोपण केलिए सहायता की मंजूरी देने की शर्ते Conditions for the grant of coconut new planting subsidy

 सहायता केलिए आवेदन बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्म में किया जाए और विनिर्दिष्ट प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए।

The application for subsidy shall be made in the form prescribed by the Board and shall be accompanied by the certificates.

- पूंजीगत सहायता नारियल की खेती करनेवाले किसानों केलिए है, जिनके पास व्यक्तिगत रूप से उद्यान भूमि, नारियल की खेती केलिए उपयुक्त सूखी जमीन 4 हेक्टयर से अधिक नहीं है। The Capital subsidy is meant for coconut farmers who do not own individually more than 4 ha. of garden land/dry land suitable for coconut cultivation.
- उपर्युक्त वर्ग के अन्तर्गत केवल वही आर्थिक सहायता केलिए पात्र होगा जो कम से कम 0.1 हेक्टयर का नया क्षेत्र नारियल के अधीन लाता है। Among the above category only those who bring in a minimum of 0.1 ha. of new area under coconut alone are eligible for subsidy.
- आवेदक को नये रोपण केलिए प्रस्तावित भूमि पर कानूनी अधिकार होना चाहिए।
   The applicant should have legal right on the proposed land for new planting.
- रोपण केलिए बीजपौधे सरकारी नर्सरी या संबद्ध राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सरी या नारियल विकास बोर्ड से प्राप्त किये जाने चाहिए।
   The seedling for planting should be obtained from the Govt. nurseries or nurseries recognised by the concerned State Government or Coconut Development Board.
- 6. रोपे गये बीजपौधों की संख्या प्रति हेक्टयर 160 से कम न हो और प्रत्येक राज्य में आधिकारिक रूप से सिफारिश की गयी संख्या से अधिक भी न हो। The planting density should not be less than 160 seedlings per ha, and not more than the officially recommended level in each State.
- आरंभ से ही बीज पौधों को विविध निवेशों का प्रयोग सिहत सभी सिफारिश की गयी प्रवंधकीय देखभाल करनी होगी!
   The seedlings from the very beginning should receive all the recommended management care

including the use of various inputs.

- 8. समय-समय पर लागू होने वाली सिफारिशों के अनुसार अपेक्षित कृषि संबंधी और अन्य क्रिया-कलापों के बाद ही प्रत्येक वर्ष की सहायता किस्तों की अदायगी की जाएगी। Every year the disbursement of subsidy instalment will be effected only after the expected cultural and other operations are carried out in accordance with the recommediations in force from time to time.
- 9. रोपे गये बीजपौधों में, जितने जीवित हैं, इनके आधार पर सहायता मंजूर की जाएगी। जिन बीजपौधों केलिए सहायता दी गयी थी, उनके विनष्ट या क्षतिग्रस्त होने पर कृषक द्वारा स्वयं बीजपौधे बदले जाएंगे और इस केलिए कोई नयी सहायता नहीं दी जाएगी। The subsidy will be granted on the basis of the actual stand of the seedlings planted. Seedlings for which subsidy was received, if dead or damaged, should be replaced by the grower himself and for this no fresh subsidy will be granted.

- 10. लाभभोगियों को प्लॉट पर अंग्रज़ी और क्षेत्रीय भाषा में अपने खर्च पर इस आशय का एक बोर्ड लगाना होगा कि "प्लॉट नारियल विकास बोर्ड, कोची द्वारा सहायता प्राप्त है" The beneficiaries should prominently display a board in the plot indicating that the plot is subsidised by the Coconut Development Board, Cochin in English and regional language at their own expenses.
- 11. जिन पौधों केलिए आर्थिक सहायता प्राप्त की गयी थी, यदि इन पौधों को जानबूझकर नष्ट किया तो, आर्थिक सहायता लेनेवाले व्यक्ति को सहायता की राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करनी होगी।

If plants for which subsidy was received were wilfully destroyed than the owner should remit back the subsidy received with 12 per cent interest.

- 12. आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी भूमि का यदि सार्वजनिक प्रयोजन केलिए अधिग्रहण किया जायेगा तो, आर्थिक सहायता की राशि बोर्ड को वापस की जाएगी। If any land in respect of subsidy is received is acquired for public purpose the subsidy received should be refunded to the Board.
- 13. किसी व्यक्ति द्वारा धोखाबाजी या गलत विवरण पर आर्थिक सहायता प्राप्त करने का पता चला तो आर्थिक सहायता की पूर्ण राशि 12% ब्याज सहित वसूल कर ली जाएगी। If any person is found to have obtained subsidy by fraud or by misrepresentation the entire amount of subsidy with 12 per cent interest shall be liable to be recovered.
- 14. आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी भूमि के हक का उत्तराधिकारी, बोर्ड द्वारा निर्धारित ढंग से आर्थिक सहायता केलिए आवेदन करने पर और इस आशय का घोषणा पत्र देने पर कि बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित शर्तों का पालन करेगा, आर्थिक सहायता की आगे किस्तें प्राप्त करने केलिए पात्र होगा।

A successor in title to any land in respect of which subsidy is received shall be eligible for future instalment of subsidy subject to his applying for the same in the manner prescribed by the Board and subject to his furnishing a declaration to the effect that the shall abide by the terms and conditions of the Board prescribed from tim to time.